

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 227/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-27.06.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 27.06.2025 को **आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-**

01. थाना मुबारकपुर: दहेज हत्या में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना-

दिनांक 03.05.2025 को वादिनी मुकदमा श्रीमती फुलेसरी देवी पत्नी स्व० छेदी सोनकर निवासी ग्राम धर्मसीपुर थाना रानीपुर जिला मऊ द्वारा स्वयं की पुत्री (पीड़िता) के ससुराली जन पीड़िता का पति लक्ष्मी सोनकर पुत्र अच्छेलाल सोनकर, जेठ गुड्डू सोनकर व गोरख सोनकर पुत्र अछेलाल सोनकर व देवर प्रदीप पुत्र अछेलाल सोनकर, जेठानी आरती पत्नी गुड्डू सोनकर व सास झिनकी देवी पत्नी अछेलाल सोनकर निवासी ग्राम रसूलपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा मिलकर दहेज के लिये प्रताड़ित करना एवं पीड़िता की हत्या कर देने के सम्बन्ध में तहरीर प्राप्त हुआ जिसके आधार पर मु०अ०सं० 181/2025 धारा 85/103 बीएनएस पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार स्वयं कर रहे है। विवेचना से अभियोग धारा 85/108 बीएनएस व 3/ 4 डीपी एक्ट में प्रचलित है।

उपरोक्त घटना के नामजद अभियुक्त 1. लक्ष्मी सोनकर पुत्र अछेलाल सोनकर व उसकी माता 2. झिनकी देवी पत्नी अछेलाल सोनकर निवासी ग्राम रसूलपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ पूर्व में जेल भेजे जा चुके है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 27.06.2025 को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रदीप सोनकर पुत्र अछेलाल सोनकर निवासी ग्राम रसूलपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को उनके घर ग्राम रसूलपुर से समय करीब 10.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1-प्रदीप सोनकर पुत्र अछेलाल सोनकर निवासी ग्राम रसूलपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1-मु०अ०सं० 181/2025 धारा 85/108 बीएनएस व 3/ 4 डीपी एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. प्र०नि० निहार नन्दन कुमार, का० आलोक रंजन, का० रविकान्तन्याव, म०का० शिवानी शुक्ला थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़



02.थाना- रौनापार:किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

दिनांक- 20.03.25 को वादिनी मुकदमा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ने थाना रौनापार पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी अंकित यादव पुत्र रामदरश द्वारा वादिनी की नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिनांक 28.03.25 को मु0अ0सं0 114/25 धारा 137(2)/87 BNS बनाम अंकित यादव पुत्र रामदरश यादव साकिन आराजी देवारा करखिया पकड़िहवा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 दयाशंकर द्वारा की जा रही थी। दौरान विवेचना पीड़िता/अपृहता की बरामदगी व अपृहता/पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 180 व 183 BNSS से मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 BNS व 3/4 पाक्सों एक्ट की बढ़ोत्तरी किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 27.06.2025 को उ0नि0 दयाशंकर मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अंकित उर्फ अंकित यादव पुत्र रामदरश यादव साकिन आराजी देवारा करखिया पकड़िहवा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को ग्राम करखिया मोड़ से समय करीब 07.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार को मा0 न्यायालय खाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 114/25 धारा 87/137(2)/64 BNS व 3/4 पाक्सों एक्ट थाना रौनापार आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 114/25 धारा 87/137(2)/64 BNS व 3/4 पाक्सों एक्ट थाना रौनापार आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1- अंकित उर्फ अंकित यादव पुत्र रामदरश यादव साकिन आराजी देवारा करखिया पकड़िहवा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 दयाशंकर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 संतोष यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. का0 अवधेश यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़



03.थाना- बरदह: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 27.06.25 को 30नि0 अम्बुज कुमार राही मय हमराह द्वारा चेकिंग दौरान अभियुक्त अनिल सरोज पुत्र मुनीब सरोज निवासीग्राम अहिबरनपुर परसौली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष को एक अदद तमन्चा .303 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर के साथ त्रिवेणी मोड़ से समय 04.00 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 186/2025 धारा 7/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त के पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-अनिल सरोज पुत्र मुनीब सरोज निवासीग्राम अहिबरनपुर परसौली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

01 अदद तमन्चा .303 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 186/2025 धारा 7/25 आर्म्स एक्ट बरदह, आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 334/17 धारा 394/411 भादवि थाना जीयनपुर, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 45/18 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट, थाना बरदह, आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 106/23 धारा 308/323/325/504/506 भादवि थाना बरदह, आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 295/17 धारा 392/411 भादवि थाना बरदह, आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 296/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना बरदह, आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 351/17 धारा 392/411 भादवि थाना बरदह, आजमगढ़
7. मु0अ0सं0 359/17 धारा 411/413/414 भादवि थाना बरदह, आजमगढ़
8. मु0अ0सं0 296/17 धारा 307/411 भादवि थाना बिलरियागंज, आजमगढ़
9. मु0अ0सं0 297/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिलरियागंज, आजमगढ़
10. मु0अ0सं0 26/15 धारा 41/411/419/420/467/468/471 भादवि थाना बरदह, आजमगढ़
11. मु0अ0सं0 22/15 धारा 379 भादवि थाना देवगांव, आजमगढ़
12. मु0अ0सं0 407/17 धारा 392 भादवि थाना देवगांव, आजमगढ़
13. मु0अ0सं0 186/2025 धारा 7/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. 30नि0 अम्बुज कुमार राही थाना बरदह, आजमगढ़
2. 30नि0 उमाशंकर सिंह थाना बरदह, आजमगढ़

